Renly

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 14/2016 /चार (म० नियंत्रण) दिनांक : 28/4/2017

मै० इण्डस वैली प्रमोटर्स लि०
द्वारा श्री अजय गुप्ता,
निवासी–02, पीएल शर्मा रोड,
मेरठ।

आपके पत्र दिनांक 19.11.2016 मानचित्र सं० 14/16 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भू–विन्यास निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम–मुकर्रबपुर पल्हैडा, मेरठ भूखण्ड/भवन/खसरा सं०–451पार्ट, 468पार्ट, 470पार्ट से 473, 474 से 477पार्ट, 478पार्ट, 483पार्ट, 484, 485पार्ट, 486पार्ट व 487पार्ट पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–26 के आधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नही होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम–21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगें।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (ऑकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेगें।
11. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
12. मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या–21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 10.11.2016 का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

शर्त :– मानचित्र संख्या–14/16 के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 24.04.17 के अनुसार अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन), मेरठ की आपत्ति/अनापत्ति प्राप्त कर मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में प्रस्तुत करने तक स्थल पर कोई भी निर्माण कार्य आवेदक/कालोनाईजर द्वारा प्रारम्भ नही किया जायेगा। यदि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ द्वारा कोई आपत्ति लगायी जाती है तो आपत्ति निराकरण किये जाने का दायित्व आवेदक/कालोनाईजर का होगा तथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक/कालोनाईजर की होगी।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :– नोडल अधिकारी, प्रवर्तन जोन–बी को प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।